रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2012/भाद्र 30, 1934
No. 204] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2012/BHADRA, 30, 1934

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2012

सं. एल-1/67/2012-कें.वि.वि.आ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (द) के साथ पठित धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है :

अध्याय-1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-** (1) इन विनियमों का नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्य-निष्पादन मानक) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **कार्य-क्षेत्रः-** ये विनियम सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू होंगे।

3. **परिभाषाएंः-** (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **''अधिनियम''** से समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) **''प्रभावित व्यक्ति''** से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से ऐसा कोई प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन के मानकों का पालन न करने के कारण प्रभावित हो;

(ग) **''आयोग''** से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) **''अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस)''** का वही अर्थ होगा जैसाकि अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित है;

(ङ) **''अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी''** से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की पारेषण लाइनें स्थापित करने, प्रचालित करने और रख-रखाव के लिए अधिकृत मानित अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सहित कोई अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है;

(च) **''प्रयोक्ता''** से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के किसी खंड/घटक का प्रयोक्ता अभिप्रेत है और इसमें थोक उपभोक्ताओं और किसी अन्य उद्यम/व्यक्ति सहित अंतर-राज्यिक उपयोगिताएं, राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) या भार सेवारत उद्यम सम्मिलित हैं;

(छ) **''वर्ष''** से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे, जैसा कि उन्हें क्रमशः अधिनियम और आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों में समनुदेशित किए गए हैं।

अध्याय 2
उद्देश्य, प्रतिमान और प्रक्रिया

4. उद्देश्यः- इन विनियमों का उद्देश्य अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कार्य-निष्पादन के मानकों को सुनिश्चित करना और विद्युत पारेषण की एक दक्ष, विश्वसनीय, समन्वयित और किफायती प्रणाली प्रदान करना है और उसका पालन न करने पर प्रभावित पक्षकारों को प्रतिकर का हकदार बनाना है।

5. कार्य-निष्पादन के मानकः- सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्य-निष्पादन के मानकों का अनुपालन करेंगेः

(क) पारेषण प्रणाली उपलब्धता

(i) पारेषण प्रणाली उपलब्धता की संगणना मासिक आधार पर घटक-वार उसी रीति में की जाएगी जैसाकि समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 और उसकी पश्चातवर्ती किसी अधिनियमिति में उपबंधित है।

(ii) आउटेज के अधीन पारेषण घटक की मानित उपलब्धता वही होगी जैसाकि समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम,2009 और उसकी पश्चातवर्ती किसी अधिनियमिति में विनिर्दिष्ट हैं।

(iii) पारेषण प्रणाली की घटक-वार मासिक उपलब्धता, नीचे दी गई उपलब्धता से कम नहीं होगी :

क्रम संख्या	पारेषण घटक	उपलब्धता (समय की प्रतिशतता)
(i)	ए.सी. पारेषण लाइन	90
(ii)	आई. सी. टी.	90
(iii)	रिएक्टर	90
(iv)	स्थिर वी.ए.आर. प्रतिकारित्र	90
(v)	श्रृंखला प्रतिकारित्र	90
(vi)	एच.वी.डी.सी. (आगे-पीछे केंद्र और बाइ-पोल लिंक)	85

टिप्पण: (1) एसी पारेषण लाइन और एचवीडीसी बाइ-पोल लाइन की मासिक उपलब्धता की संगणना के प्रयोजन के लिए टावर ढहने की गणना नहीं की जाएगी।

(2) अंतर-संयोजिता ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर की उपलब्धता की संगणना के प्रयोजन के लिए अंतर-संयोजन ट्रांसफॉर्मर (आईसीटी) और रिएक्टर की विफलता की गणना नहीं की जाएगी।

(iv) घटक-वार मासिक उपलब्धता को प्रादेशिक विद्युत समिति की सदस्य-सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(ख) पुनःस्थापन समयः- पारेषण लाइन और अंतर-संयोजन ट्रांसफॉर्मर (आईसीटी) और रिएक्टरों की विफलताओं के विभिन्न प्रकारों के लिए पुनःस्थापन समय निम्नलिखित समय-सीमा से अधिक नहीं होगा :

क्रम सं.	विफलताओं के प्रकार	पुनःस्थापन समय (दिन)
1.	इंस्यूलेटर की विफलता	
	मैदानी भू-भाग	1
	पहाड़ी भू-भाग	2
2.	आपात पुनःस्थापन प्रणाली (ईआरएस) द्वारा ढह जाने के बाद टॉवर	12
3.	ढह जाने के बाद टॉवर	
	मैदानी भू-भाग	30
	नदी तल	50
	पहाड़ी भू-भाग	50

4.	फेस संचालक का कटाव	
	मैदानी भू-भाग	2
	पहाड़ी भू-भाग	3
5.	अर्थवायर की विफलता	
	मैदानी भू-भाग	2
	पहाड़ी भू-भाग	3
6.	अंतर संयोजन ट्रांसफार्मर (आईसीटी) की विफलता	
	आईसीटी का पुनःस्थापन	120
7.	रिएक्टरों की विफलता	
	विफल रिएक्टर का पुनःस्थापन	120

6. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों को बनाए रखने में अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई विफलता, अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रतिकर का दावा करने वाले प्रभावित किसी व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर के संदाय के लिए उक्त अनुज्ञप्तिधारी को दायी बनाएगी:

परन्तु यह भी कि अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिकर का संदाय अधिनियम में यथा उपबंधित किसी शास्ति, जो अधिरोपित की जाए या आयोग द्वारा प्रारंभ किसी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

7. **प्रतिकर के लिए प्रक्रिया:** कोई प्रभावित व्यक्ति, जिसने किसी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य-निष्पादन के मानकों का पालन न करने के कारण हानि उठाई है, प्रतिकर दिलाए जाने के लिए आयोग को समुचित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु यह कि आयोग प्रतिकर का अवधारण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, करेगा:

परन्तु यह भी कि अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभावित व्यक्ति को संदाय किए जाने वाला प्रतिकर किसी विशिष्ट घटक के पारेषण प्रभारों की उस सीमा तक सीमित होगा जिस तक इससे प्रभावित व्यक्ति को विद्युत का प्रदाय प्रभावित हुआ हो:

परन्तु यह और कि अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण विद्युत के उपभोक्ताओं से टैरिफ के माध्यम द्वारा दिए गए प्रतिकर की रकम वसूल करने का हकदार नहीं होगा।

परन्तु यह और भी कि यदि प्रतिकर के लिए आवेदन, इन विनियमों के विनियम 5 के खंड (ख) में विहित मानकों के लिए, यथास्थिति, उस मास के अंत से, जब खंड 5(क) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता से पारेषण प्रणाली की उपलब्धता कम पाई जाए, नब्बे दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात और पारेषण घटक के पुनः स्थापन की तारीख से नब्बे दिन के पश्चात, फाइल किया जाए तो प्रतिकर के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय 3
अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जानी वाली सूचना

8.अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना:- (1) सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 59 के अनुसरण में, इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए फारमेट में, आयोग को, (क) प्राप्त कार्य-निष्पादन के स्तर, (ख) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिकर का संदाय किया गया है, और (ग) प्रतिकर की कुल रकम की सूचना प्रस्तुत करेंगे।

(2) ऐसी सूचना, अपेक्षित फारमेट में, आयोग को वित्तीय वर्ष में दो बार अप्रैल से सितम्बर की अवधि और अक्तूबर से मार्च तक की अवधि के लिए क्रमशः 31 अक्तूबर और 30 अप्रैल को छह मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

(3) सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर, मासिक आधार पर कार्य-निष्पादन के विनिर्दिष्ट मानकों के विरूद्ध वास्तविक कार्य-निष्पादन और भुगतान की गई प्रतिकर की कुल रकम, यदि कोई हो, अनुसूची से संलग्न फारमेट में प्रदर्शित करेंगे।

अध्याय 4
प्रकीर्ण

8. शिथिल करने की शक्ति:(1) आयोग, यदि उसे ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और लिखित में कारण अभिलिखित किए जाने के लिए, युद्ध, विद्रोह, नागरिक अशांति, उपद्रव, बाढ़, चक्रवात, तूफान, बिजली गिरने, भूकम्प, ग्रिड विफलता और हड़ताल/कर्फ्यू, तालाबंदी, आग जैसी नियंत्रण से परे परिस्थितियों, जिनसे अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संस्थापन और प्रचालन क्रियाकलाप प्रभावित हुए हों या ऐसी अन्य विनिर्दिष्ट स्थितियों के दौरान कार्य-निष्पादन के किसी विनिर्दिष्ट मानक के पालन को शिथिल कर सकेगा:

परन्तु यह कि अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के अधीन कार्य-निष्पादन के मानकों को बनाए रखने में उसकी विफलता के कारण उसके दायित्व से उन्मुक्त नहीं किया जाएगा यदि यह पाया जाए कि यह विफलता किसी उपेक्षा या अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में दोष अथवा निवारात्मक रख-रखाव में कमी के कारण या युक्तियुक्त पूर्वावधानी बरतने में विफलता के कारण हुई है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्ति को हानि उठानी पड़ी है।

9. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति:- यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो जाए तो आयोग, सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों तथा कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/12/असा.]

3606GI/12-2

अनुसूची

I. ———मास के लिए ए.सी. पारेषण लाइन/आई सी टी/स्थिर वीएआर प्रतिकारित्र/श्रृंखला प्रतिकारित्र/एचवीडीसी (आगे-पीछे केंद्र और बाइ-पोल लिंक)/लाइन रिएक्टर/बस रिएक्टर आउटेज ब्यौरे

घटक का नाम	आउटेज		पुनःस्थापन		निम्न से संबद्ध आउटेज की अवधि				आउटेज का कारण	% उपलब्धता
	तारीख	समय	तारीख	समय	अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी	अन्य	प्रणाली बाध्यता/ प्राकृतिक आपदा/ युद्ध संलग्नता	मानित उपलब्धता		
					घंटे : मिनट	घंटे : मिनट	घंटे : मिनट	घंटे : मिनट		

घटक जहां पुनःस्थापन समय विनियम 5(ख) में विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक है

घटक का नाम	विनियम 5(ख) में यथा विनिर्दिष्ट पुनःस्थापन समय (दिनों में)	वास्तविक पुनःस्थापन समय (दिनों में)

II. अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त प्रतिकर के ब्यौरे

घटक का नाम	विनियम 5(क) का उल्लंघन		विनियम 5(ख) का उल्लंघन		संदत्त प्रतिकर (₹ में)
	% विहित उपलब्धता	वास्तविक % उपलब्धता	विहित पुनःस्थापन समय (दिनों में)	वास्तविक पुनःस्थापन समय (दिनों में)	
योग					

III. अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पीओएसओसीओ को प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े

(1) यथा परिभाषित निर्भरता सूची $D = \frac{N_c}{(N_c + N_f)}$

जहां N_c दिए गए समय अंतराल के दौरान सही प्रचालनों की संख्या है और N_f आंतरिक विद्युत प्रणाली दोषों पर प्रचालन में विफलताओं की संख्या है।

(2) यथा परिभाषित सुरक्षा सूची $S = \frac{N_c}{(N_c + N_u)}$

जहां N_u अवांछित प्रचालनों की संख्या है।

(3) यथा परिभाषित विश्वसनीयता सूची $R = \frac{N_c}{(N_c + N_i)}$

जहां N_i गलत प्रचालनों की संख्या और N_f तथा N_u का योग है।

(4) उपरोक्त से $\frac{1}{S} + \frac{1}{D} = \frac{1}{R} + 1$

(5) प्रत्येक पारेषण घटक की ट्रिप्पिंगों की संख्या। किसी पारेषण घटक की एक मास में पांच या अधिक ट्रिप्पिंगों को अंतर राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाला जाएगा और इसकी सूचना पीओएसओसीओ को दी जाएगी।

टिप्पण :

1. इन सूचियों के आंकड़े वर्तमान में प्रणाली प्रचालक द्वारा संग्रहण के लिए विहित किए गए हैं।
2. पीओएसओसीओ द्वारा इन सूचियों को संगणित किया जाएगा और मासिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

IV. अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संकालित किए जाने वाले आंकड़े

पारेषण लाइन की विफलताओं के विभिन्न प्रकारों और अंतर-संयोजन ट्रांसफार्मर (आईसीटी) तथा रिएक्टर की विफलता के लिए पुनःस्थापन समय निम्नलिखित फॉरमेट में दिया जाएगा :

क्र.सं.	विफलताओं के प्रकार	पुनःस्थापन समय (दिन)		
अ.	**प्रत्येक केवी श्रेणी हेतु पृथक्तः एकल सर्किट (एस/सी) डबल सर्किट (डी/ और बहु सर्किट (एम/सी) टॉवरों के लिए पारेषण लाइन के घटक**			
1.	**इंस्यूलेटर विफलता**	**भू-भाग प्रकार**		
		मैदान	**नदी तल**	**पहाड़ी**
	(i) एकल फेस में इंस्यूलेटर विफलता			
	(ii) दो फेसों में इंस्यूलेटर विफलता			
	(iii) तीन फेसों में इंस्यूलेटर विफलता			
2.	एस/सी, डी/सी/ और एम/सी के लिए पृथक्तः आयात पुनःस्थापन प्रणाली (ईआरएस) द्वारा पात के बाद टॉवर			
3.	एस/सी, डी/सी और एम/सी के लिए पृथक्तः आयात पुनःस्थापन के बिना पात के बाद टॉवर			
4.	**टावर नुक्सान (पात नहीं)**			
	एक हाथ का नुक्सान			
	दो हाथ का नुक्सान			
5.	**फेस संचालक का कटाव**			
	सफल फेस में संचालक कटाव			
	दो फेसों में संचालक कटाव			
	तीन फेसों में संचालक कटाव			
6.	**अर्थ वायर की विफलता**			
7.	**संचालक कटाव के साथ इंस्यूलेटर विफलता**			
8.	**विफलताओं का कोई अन्य संयोजन**			
आ.	**प्रत्येक केवी श्रेणी के लिए पृथक्तः उपकेंद्र का घटक**			
1.	**अंतर-संयोजी ट्रांसफार्मरों (आईसीटी) की विफलता**			
	विफल आईसीटी का पुनः स्थापन			
	आईसीटी में अन्य बड़ी विफलताएं	**एकल फेस यूनिट**	**तीन फेस यूनिट**	
	(i) दूषित बुशिंग्स का प्रतिस्थापन			
	(ii) विफल/घटी हुई बुशिंग्स का प्रतिस्थापन			
	(iii) दूषित टेप परिवर्तकों का प्रतिस्थापन			
2.	**रिएक्टरों की विफलता**			
	विफल रिएक्टरों का पुनःस्थापन			